

Press Release

दिनांक :- 09.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 6,271 लीटर अवैध शराब के अतिरिक्त गया जिला में 575 किलोग्राम Black Sulphur जब्त किया गया।

कटिहार जिला में ₹13,00,000/-, सारण जिला में ₹60,000/-, वैशाली जिला में ₹18,53,021/-, बाँका जिला में ₹14,540/-, मुंगेर जिला में ₹51,018/-, बक्सर जिला में ₹75,000/- एवं जहानाबाद जिला में ₹60,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	2
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	4
Illegal Meeting/Speech etc.	3
Others	8
3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	8
No. of cartridges seized	40
No. of Licensed Arms deposited	1,214
No. of Licensed Arms Cancelled	494
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	4,864
No. of non-bailable warrants executed	409
Fine collected in vehicle checking	Rs. 10,28,576

4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	57
No. of raids conducted	145
Volume of illicit liquor seized during raids	2,565 litre
No. of persons arrested	69
Amount of fine imposed	Rs. 1,52,502

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं एवं अभ्यर्थियों द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में चुनाव प्रचार के दौरान व्यवहार किये जाने वाले भाषणों के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे आपसी घृणा और विद्वेष फैलाने वाला माना है जो राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए पालन किये जाने वाले आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत के संविधान की धारा 19 (1) (a) के तहत दिये गये भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार absolute नहीं है। आयोग ने सभी राजनैतिक दलों के नेताओं और अभ्यर्थियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gadakh Yashwantrao Kankarrao Vs ES Balasaheb Vikhe Patil वाद में पारित आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे चुनाव प्रचार के दौरान सहिष्णुता बरतने तथा चुनाव प्रचार के दौरान नैतिकता के उच्च मानदंड को भविष्य के चुनावों के लिए स्थापित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को निर्गत पत्र के मुख्य अंश को निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है :-

The Commission has observed with a deep sense of anguish and serious concern about the plummeting levels of political speeches by various political party leaders and candidates in the ongoing general election to the Bihar Legislative Assembly. While the Commission has issued guidelines/advisory to the political parties even as late as 17th September 2015, the situation still continues to be far from satisfactory. The tone and tenor of the political speeches have been found to be calculated to cause mutual hatred, disharmony or ill-will and aimed at to aggravate the differences between different political parties and classes of citizens on the grounds of religion, caste and community which the Model Code of Conduct dissuades the political parties and candidates.

The Commission would like to remind the Political Party leaders and candidates at the current Assembly elections in Bihar that the fundamental right of freedom of speech and expression guaranteed under Article 19 (1) (a) of the Constitution is not absolute and is required to be exercised in such a manner that

it does not transcend inter alia the boundaries of decency and morality or disturb public order or amount to defamation or give incitement to an offence.

The Commission would also like to invite the attention of all Political Parties, their leader and candidates to the observation of the Hon'ble Supreme Court in *Gadakh Yashwantrao Kankarrao Vs ES Balasaheb Vikhe Patil* (AIR 1994 SC 678) viz " the duty of the top echelons of leadership at the state and national levels of all political parties is to set the trend for giving the needed information to the electorate by adopting desirable standards so that it percolates to the lower levels and provides a congenial atmosphere for a free and fair poll. A contrary trend of speeches by the top leaders tends to degenerate the election campaign as it descends to the lower levels and at times promotes even violence leading to criminalisation of politics. The growth of this unhealthy trend is a cause for serious concern for the proper functioning of the democracy and it is the duty of the top leaders of all political parties to reverse this trend to enable movement of the functioning of democracy in the proper direction.

The Commission therefore strongly urges and appeals to all the political parties, their leaders in all capacities and the contesting candidates to observe utmost restraint and decency in their election campaign speeches and set an example for future elections in the matter of maintaining high standards of conduct and behaviour in election campaign.

6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत

समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।

8. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 09.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	1-वाल्मीकिनगर	1
	3-नरकटियागंज	1
	5-लौरिया	1
	6-नौतन	1
	7-चनपटिया	1
पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल	1
	11-सुगौली	2
	14-गोविन्दगंज	1
	16-कल्याणपुर	4
	17-पिपरा	5
	19-मोतिहारी	2
	20-चिरैया	1
शिवहर	22-शिवहर	1
सीतामढ़ी	25-परिहार	1
	28-सीतामढ़ी	2
	29-रून्नीसैदपुर	1

	30-बेलसंड	2
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	2
	89-औरई	1
	90-मीनापुर	3
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	2
	92-सकरा (अ0जा0)	2
	93-कुढ़नी	2
	94-मुजफ्फरपुर	1
	95-काँटी	2
	96-बरुराज	2
	97-पारु	4
	98-साहेबगंज	4
	गोपालगंज	102-कुचायकोट
103-भोरे (अ0जा0)		1
104-हथुआ		2
सिवान	105-सिवान	1
	107-दरौली (अ0जा0)	1
	109-दरौंदा	1
	110-बड़हरिया	2
	111-गोरेयाकोठी	1
	112-महराजगंज	1
कुल योग		64

इस प्रकार चतुर्थ चरण हेतु आज तक कुल 166 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

10. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 09.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
मधुबनी	39-फुलपरास	1
	40-लौकहा	1
सुपौल	43-सुपौल	1
	45-छातापुर	1

अररिया	46-नरपतगंज	1
	49-अररिया	1
	50-जोकिहाट	2
किशनगंज	54-किशनगंज	1
पूर्णिया	60-रूपौली	1
	62-पूर्णिया	2
कटिहार	66-प्राणपुर	1
मधेपुरा	70-आलमनगर	1
	71-बिहारीगंज	2
	73-मधुपेरा	1
दरभंगा	83-दरभंगा	1
	85-बहादुरपुर	1
कुल योग		19

इस प्रकार पंचम चरण हेतु आज तक कुल 26 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

11. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के 49 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को निर्धारित है। इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
समस्तीपुर	131- कल्याणपुर (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	132- वारिसनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	133- समस्तीपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	134- उजियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	135- मोरवा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	136- सरायरंजन	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	137- मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	138- विभूतिपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	139- रोसड़ा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	140- हसनपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बेगूसराय	141- चेरिया बरियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	142- बछवाड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	143- तेघड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

	144- मटिहानी	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	145- साहेबपुर कमाल	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	146- बेगूसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	147- बखरी (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
खगड़िया	148- अलौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	149- खगड़िया	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	150- बेलदौर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	151- परबत्ता	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
भागलपुर	152- बिहपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	153- गोपालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	154- पीरपैती (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	155- कहलगवां	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	156- भागलपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	157- सुलतानगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	158- नाथनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बांका	159- अमरपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	160- धौरैया (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	161- बांका	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	162- कटोरिया(अ0ज0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	163- बेलहर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
मुंगेर	164- तारापुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	165- मुंगेर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	166- जमालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
लखीसराय	167- सूर्यगढ़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	168- लखीसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
शेखपुरा	169- शेखपुरा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	170- बरबीघा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
नवादा	235- रजौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	236- हिसुआ	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	237- नवादा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	238- गोबिन्दपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	239- वारसलीगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
जमुई	240- सिकन्दरा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	241- जमुई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	242- झांझा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	243- चकाई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक

12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु

आज दिनांक 09.10.2015 को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	कुल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	संवीक्षा के दौरान अस्वीकृत नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
सारण	113-एकमा	11	0	11
	114-मांझी	22	4	18
	115-बनियापुर	13	1	12
	116-तरैया	14	1	13
	117-मढ़ौरा	13	1	12
	118-छपरा	19	5	14
	119-गरखा (अ0जा0)	12	1	11
	120-अमनौर	16	2	14
	121-परसा	14	0	14
	122-सोनपुर	14	1	13
वैशाली	123-हाजीपुर	22	6	16
	124-लालगंज	18	1	17
	125-वैशाली	20	4	16
	126-महुआ	28	0	28
	127-राजापाकर (अ0जा0)	18	0	18
	128-राघोपुर	21	1	20
	129-महनार	25	0	25
	130-पातेपुर (अ0जा0)	22	1	21
नालन्दा	171-अस्थावाँ	13	1	12
	172-बिहारशरीफ	14	1	13
	173-राजगीर (अ0जा0)	20	3	17
	174-इस्लामपुर	24	3	21
	175-हिलसा	20	2	18
	176-नालन्दा	14	2	12
	177-हरनौत	15	1	14
पटना	178-मोकामा	20	2	18
	179-बाढ़	16	0	16
	180-बख्तियारपुर	14	0	14
	181-दीघा	34	2	32
	182-बाँकीपुर	23	2	21

	183-कुम्हरार	34	0	34
	184-पटना साहिब	19	1	18
	185-फतुहा	16	2	14
	186-दानापुर	13	0	13
	187-मनेर	14	1	13
	188-फुलवारी (अ0जा0)	20	1	19
	189-मसौढ़ी (अ0जा0)	20	1	19
	190-पालीगंज	16	1	15
	191-बिक्रम	23	3	20
भोजपुर	192-संदेश	13	1	12
	193-बड़हरा	12	0	12
	194-आरा	12	1	11
	195-अगिआँव (अ0जा0)	7	0	7
	196-तरारी	15	1	14
	197-जगदीशपुर	25	0	25
	198-शाहपुर	14	0	14
बक्सर	199-ब्रहमपुर	13	0	13
	200-बक्सर	33	0	33
	201-डुमराँव	20	0	20
	202-राजपुर (अ0जा0)	14	0	14
कुल योग		902	61	841

इस प्रकार तृतीय चरण हेतु नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की कुल संख्या 841 है।

13. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश भारती, सीतामढ़ी के अनुमंडल पदाधिकारी श्री निरोज कुमार भगत तथा बहादुरपुर अंचल जिला दरभंगा के अंचलाधिकारी श्री इन्द्रसेन साह को अविलंब हटाते हुए उनके स्थान पर आयोग की अनुमति से पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का निदेश दिया गया है।
